

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर

सर्विस

मेरठ

परिक्षेत्र।

पत्रांक-भ-154/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-13(जीएन)

दिनांक: जून

2013,

सेवा में,

मुख्य वास्तुविद नियोजक
नौएडा प्राधिकरण सेक्टर-6,
गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स किन्डल डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा स्पोर्ट सिटी सेक्टर-79 में पार्सल न0-एस0सी0-01/डी0-1, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-प्रथम से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 06-06-2013 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

प्लॉट एरिया-40,000.00 वर्ग मी0 जिसमें प्रस्तावित ब्लॉक का विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	ऊँचाई मी0 में
1	टावर-1	02 बेस0, भूतल एवं 13 तल	787.183	717.957	44.200
2	टावर-2	02 बेस0, भूतल एवं 13 तल	787.183	717.957	44.200
3	टावर-3	02 बेस0, भूतल एवं 18 तल	778.670	713.698	59.45
4	टावर-4	02 बेस0, भूतल एवं 18 तल	358.891	317.874	59.45
5	टावर-5	02 बेस0, भूतल एवं 18 तल	358.891	317.874	59.45
6	टावर-6	02 बेस0, भूतल एवं 13 तल	778.670	713.698	44.200
7	टावर-7	02 बेस0, भूतल एवं 13 तल	778.670	713.698	44.200
8	टावर-8	02 बेस0, भूतल एवं 13 तल	778.670	713.698	44.200
9	टावर-9	02 बेस0, भूतल एवं 13 तल	888.404	816.138	44.200
10	टावर-10 कामर्शियल/कम्युनिटी	02 बेस0, भूतल एवं 02 तल	258.355/302.748	258.355/293.248	13.50

बेसमेन्ट:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में 02 बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमें लोवर बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया-33,061.504 वर्ग मी0, एवं अपर बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया-32,131.662 वर्ग मी0।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 45 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2- प्रवेश द्वार:- प्रश्नगत भवन में 02 प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

3- सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

(अमन शर्मा)

उप निदेशक फा0

मेरठ

ए0-अग्रभाग-16.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-16.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा तथा टावरों के चारो ओर 06 मीटर का मोटरबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3-निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावरों में 02 स्टेयरकेश प्रत्येक स्टेयर की चौड़ाई 1.5 एवं 1.25 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँछनीय है।

1-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन में 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नोत्तरी में भी अंकित किया है।।

2-पम्पस:-भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वाँछनीय है।

3-टेरिस टैंक:-प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 पच्चीस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

4-होजरील:-प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

5-डाउनकामर:-प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

6-वेटराइजर:-प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

7-यार्ड हाईड्रैण्टस:-प्रस्तावित भवन में 150 एमएम की रिंग लाईन तथा उस पर यार्ड हाईड्रैण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वाँछनीय है।

8-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- 45 मी से टावरों में सम्पूर्ण भवन व पूरे बेसमेन्ट में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वाँछनीय है।

9-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

10-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार वाँछनीय है।

12-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

13-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त ब्लाको में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

14-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त ब्लाको में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

15-हैलीपैड:- प्रश्नगत भवन में हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के प्रस्तर सी0-10 के अनुपालन में वाँछनीय है।

16-प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर ऑफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर सी0-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वाँछनीय है।

17-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

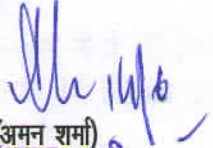
अचन शर्मा
निदेशक
सेक्ट

18-वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन मे उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाँफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स किन्डल डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा स्पोर्ट सिटी सेक्टर-79 मे पार्सल न0-एस0सी0-01/डी0-1, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित गुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पूर्वत किंसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।


(अमन शर्मा)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि:1-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-मैसर्स किन्डल डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वारा स्पोर्ट सिटी सेक्टर-79 मे पार्सल न0-एस0सी0-01/डी0-1, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे को अनुपालनार्थ।